मध्यप्रदेश शासन

उद्यानिकी एवम खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30-03-2020

क्रमांक 633/2020/58:: मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त निर्देश दिनांक 28-03-2020 के अनुसार प्रदेश में लॉक डाउन की अवधि दिनांक 14-04-2020 तक वृद्धि किये जाने के कारण उद्यानिकी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन आने वाले समस्त कार्यालय बंद रहेगे । किन्तु विभाग से सम्बंधित आवश्यक वस्तुये यथा फल, सब्जियो के यथोचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत शासन गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के परिक्रम द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक 24-03-2020 एवम लॉक डाउन की अवधि में निम्नानुसार कार्यो से सम्बद्ध विभागीय कार्यालयों एवम उनमे पदस्थ अमले जिनकी इन कार्यों में भूमिका हो, राज्य शासन एवम भारत शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के प्रकाश में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन व निर्देशानुसार निम्नानुसार आवश्यक कार्य कर सकेगे ।

1. समस्त DDH/ADH एवम उनके अधिनस्थ शासकीय अमला जिला प्रशासन के निर्देशन में जो यथोचित कार्य सम्पादित कर रहे है, उनके साथ-साथ फलो एवम सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओ की प्रदेश में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपने निवास से email, whatsapp एवम अन्य यथोचित माध्यम से आवश्यक शासकीय कार्य कर सकेगे ।
2. लॉकडाउन की अवधि में समस्त उद्यानिकी फार्म एवं नर्सरियो में संचालित बीज उत्पादन, पौध उत्पादन, मातृ वृक्षों एवं अन्य पौधों की सिंचाई/देखरेख की समुचित व्यवस्था का ध्यान रखा जाए । इस हेतु सहायक संचालक उद्यान (फार्म), उद्यान अधीक्षक, माली एवं लेबर को कोरोना से बचाव हेतु समय-समय पर जारी शासकीय निर्देशों का कडाई से पालन करते हुए आवश्यक कार्य किया जाये ।
3. लॉकडाउन की अवधि में समस्त DDH/ADH इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिलों में जिन किसानों के द्वारा सब्जी, मसाला एवं फलों की खेती की जा रही है एवम उनका उत्पादन इस समय खेतो से निकलकर बाजार में विक्रय के लिए तैयार हैं, उनसे DDH/ADH/SHDO/RHEO यथोचित माध्यम से सतत संपर्क कर उनके उत्पादों को मंडियों, लोकल बाजार एवं जिले से बाहर के बाजारों में विक्रय कराने के लिए किसानों व जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करे ।
4. समस्त संयुक्त संचालक उद्यान अपने-अपने संभागों में इस बावत यथोचित माध्यम से समीक्षा करेंगे| समीक्षा की एक रिपोर्ट प्रत्येक दिन तैयार कर शाम 5:00 बजे तक dirhort@mp.nic.in एवं horticulture mp WhatsApp group पर अनिवार्य रूप

Vandana 30/03/20

Scanned by CamScanner

से भेजेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कि संयुक्त संचालक उद्यान अपने संभाग के समस्त DDH/ADH, जिला प्रशासन, मंडी के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर किसानों को उनके उत्पादों के विक्रय में सहयोग करना, जिससे कि फल एवम सब्जियों जैसे आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति वास्तविक तरीके से सुनिश्चित की जा सके ।

5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी भारत सरकार, राज्य सरकार, संचालनालय एवम जिला प्रशासन द्वारा सौपे गए कार्य को सम्पादित करने एवम कोरोना प्रकोप के नियंत्रण के सम्बन्ध में राज्य शासन व भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

Varsha 30/03/20

(वर्षा भूरिया)
उप सचिव
उद्यानिकी एवम प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

पृ..क्र.633/2020/58 भोपाल, दिनांक 30-03-2020

1. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. विशेष सहायक, प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवम खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवम प्रक्षेत्र वानिकी मध्यप्रदेश भोपाल।
4. समस्त सम्भागायुक्त मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र. ।
7. समस्त संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग ------------------------म.प्र. ।
8. समस्त उप/सहायक संचालक उद्यान, जिला--------------------म.प्र. ।

Varsha 30/03/20

उप सचिव
उद्यानिकी एवम प्रक्षेत्र वानिकी विभाग

Scanned by CamScanner